भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2458

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

न्याय के क्रियान्वयन में अनुचित देरी

†2458. प्रो. सौगत राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्याय को केवल सैद्धांतिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वानुमेय, सुलभ तथा मानवीय बनाकर देश के सामान्य नागरिक तक प्रभावी रूप से पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुकदमेबाजी की उच्च लागत, जटिल प्रक्रियाएं और भारी मात्रा में लंबित मामले इस क्षेत्र की मुख्य बाधाएं हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो मुकदमेबाजी की लागत को कम करने और प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्याय वितरण प्रणाली में न्याय प्रदान करने में सम्मिलित कई हितधारक सम्मिलित हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ न्यायपालिका, विधि प्रवर्तन प्राधिकरण, अभियोजन अभिकरण और विधिक सहायता प्राधिकरण सम्मिलित हैं। सरकार एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो पारदर्शिता, सार्वजनिक पहुंच और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है जिससे निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली को सहायता मिलती है।

इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कुछ पहल इस प्रकार हैं:-

i. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना प्रणाली में विलंब में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ अगस्त, 2011 में की गई थी ।

ii.ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन, भारतीय न्यायपालिका की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। इससे सभी नागरिकों के लिए न्याय वितरण तेज, अधिक पारदर्शी और सुलभ हो गया है। नागरिकों और वकीलों को अग्रांत सुविधा सेवाएं प्रदान करने के लिए ई सेवा केंद्रों की स्थापना, और मामला डेटा के पारदर्शी ऑनलाइन भंडार के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के विकास ने न्याय तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया है। मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग और न्यायालयों, जेलों आदि द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के उपयोग से अधिक पारदर्शिता में मदद मिली है। उन्नत कृतिम आसूचना (एआई)/मशीन लर्निंग (एमएल) टूल को न्यायिक कार्यप्रवाह में एकीकृत किया गया है, जिससे प्रक्रिया प्रवाह आसान हो गया है।

iii. 1993-94 से कार्यान्वित न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, वकीलों और वादियों के जीवन को आसान बनाने के लिए न्यायालय हॉल, डिजिटल कंप्यूटर रूम, वकील हॉल आदि के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रही है, जिससे न्याय वितरण में सहायता मिल रही है। 31.12.2025 तक, 22683 न्यायालय हॉल उपलब्ध हैं और 3197 न्यायालय हॉल निर्माणाधीन हैं।

iv. जघन्य अपराधों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों और पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति से संबंधित मामलों सहित विशिष्ट श्रेणियों के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की गई है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31.12.2025 तक 22 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 879 एफटीसी कार्यरत हैं।

v. इसके अतिरिक्त, विशेष पाक्सो (ईपाक्सो) न्यायालयों सहित त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम अक्टूबर, 2019 से क्रियाशील है। ये न्यायालय बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम से संबंधित लंबित मामलों की समयबद्ध सुनवाई और निपटान के लिए समर्पित हैं। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 31.12.2025 तक 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 398 विशिष्ट पाक्सो न्यायालयों सहित 774 एफटीएससी कार्यरत हैं।

vi. पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियों का गठन किया गया है।

vii. सरकार ने, लंबित मामलों को कम करने के दृष्टिकोण से परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोश (संशोधन) अधिनियम, 2018, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में भी संशोधन किया है ।

viii. वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धति का संवर्धन किया गया है । वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को अगस्त, 2018 में संशोधित किया गया था, जिससे वाणिज्यिक विवादों के मामले में पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया है । मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा समयसीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए किया गया है ।

ix. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, जहां न्यायालय में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है।विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालत पूर्व नियत तारीख पर सभी तालुक, जिला और उच्च न्यायालयों में साथ-साथ आयोजित की जाती है ।

x. न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना (दिशा) स्कीम के अधीन, न्याय वितरण को सुलभ बनाने के लिए नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम पहल की गई है। टेली-लॉ कार्यक्रम एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो ग्राम पंचायतों में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ता है। न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवा) कार्यक्रम लाभार्थियों को पंजीकृत अधिवक्ताओं से मुफ्त कानूनी सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाकर एक प्रो बोनो संस्कृति को बढ़ावा देता है। 23 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल स्थापित किया गया है। उभरते वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति पैदा करने के लिए 109 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब कार्यरत हैं। विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (एलएलएलएपी) के अधीन विद्यमान जमीनी स्तर/ फ्रंटलाइन विधिक कार्यकर्ताओं/ स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण की सुविधा के लिए मंत्रालयों और संबद्ध विभागों, संस्थानों, स्कूलों आदि के साथ साझेदारी की गई है।

****